



हर युवा का ही एक सपना निर्वाचक सूची में हो नाम अपना

दिनांक 01.11.2014 से 01.12.2014 तक


विधानसभा की निर्वाचक सूची में अपना नाम और
विवरण अवश्य दर्ज / सही कराएं।



- अगर आपकी उम्र 18 वर्ष या उससे अधिक है या 01 जनवरी 2015 को आप 18 वर्ष के हो जायेंगे।
- अगर आपके नाम/प्रविष्टि में कोई गलती है या पता में परिवर्तन है।

दिनांक 01.11.2014 से 01.12.2014 तक निर्वाचक सूची में नाम दर्ज कराने के लिए अपने विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी/सहायक निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी/बी.एल.ओ. से संपर्क कर सकते हैं अथवा ऑनलाईन आवेदन कर सकते हैं। विस्तृत जानकारी मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी/भारत निर्वाचन आयोग के वेबसाईट पर उपलब्ध है।

नोट: विदित हो कि निर्वाचक सूची में अपना नाम मात्र एक बार एवं एक स्थान (जहां आप साधारणतया निवास करते हैं) पर ही दर्ज कराना है।



मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, बिहार द्वारा जनहित में जारी

7, सरदार पटेल मार्ग (मैंगल्स रोड), पटना-800015

निर्वाचक निबंधन पदाधिकारियों की सूची एवं अन्य विवरण मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, बिहार की वेबसाईट <http://ceobihar.nic.in> पर उपलब्ध है।